संख्या : 72/2015/946/छप्पन-2015-7/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 07 सितम्बर, 2015

विषय : राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स पी पर विंग कमां0 एम0के0 पाण्डेय द्वारा मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई में शुल्क भुगतान के आधार पर किये गये प्रशिक्षण की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 1070/ना0उ0नि0/आप्स-19/2015, दिनांक 22-01-2015 एवं पत्र संख्या : 272/ना0उ0नि0/आप्स-19/2015, दिनांक 9-6-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स पी पर विंग कमां0 एम0के0 पाण्डेय को मैसर्स सी0ए0ई0, दुबई द्वारा शुल्क भुगतान के आधार पर सिमुलेटर पर दिनांक 06.9.2014 से 14.9.2014 तक दिये गये प्रशिक्षण पर भुगतान किया गया प्रशिक्षण शुल्क रूपये 7,36,541/- एवं दिनांक 31.8.2014 से दिनांक 14.9.2014 तक विदेश यात्रा में प्रवास के समय दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, होटल किराया भत्ता के रूप में देय धनराशि रूपये 2,63,250/- अर्थात कुल धनराशि रूपये 9,99,791/- की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय उपरोक्त सिमुलेटर पर कराये गये प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं देय भत्तों पर कुल व्यय रूपये 9,99,791/- (रूपये नौ लाख निन्यानवे हजार सात सौ इक्यानवे मात्र) के व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान विंग कमां0 एम0के0 पाण्डेय द्वारा उपलब्ध कराये गये बीजक के सापेक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत मूल बाउचर के सापेक्ष एवं नियमानुसार देय भत्तों के मूल बीजक के अनुसार किया जाये। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये निदेशक एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई-7-749/दस-2015, दिनांक 07.09.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 72/2015/946(1)//छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- सम्बन्धित अधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।